

कार्यवाही विवरण

मेसर्स एसीसी लिमिटेड, ग्राम-गोदाडीह, बोहारडीह, एवं लोहर्सी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) स्थित Proposed Integrated Cement Project-Clinker-3.3 Million Tonnes Per Annum, Cement-1.0 Million Tonnes Per Annum, CPP-30 MW, WHRS-17 MW and D.G. Set-2x2000 KVA and 1x500 KVA के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत दिनांक 18/06/2024 को प्रातः 11:00 बजे स्थान-सड़क किनारे नैया तालाब के पास ग्राम-लोहर्सी, तहसील-पचपेड़ी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसीसी लिमिटेड, ग्राम-गोदाडीह, बोहारडीह, एवं लोहर्सी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) स्थित Proposed Integrated Cement Project-Clinker-3.3 Million Tonnes Per Annum, Cement-1.0 Million Tonnes Per Annum, CPP-30 MW, WHRS-17 MW and D.G. Set-2x2000 KVA and 1x500 KVA के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 02/06/2024 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 02/06/2024 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 18/06/2024 को प्रातः 11:00 बजे स्थान-सड़क किनारे नैया तालाब के पास ग्राम-लोहर्सी, तहसील-पचपेड़ी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तुरी, जिला-बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत लोहर्सी, गोडाडीह, बोहारडीह, बिडियाडीह (टेंगर), भुरकुंडा, केवटाडीह, केवटाडीह (टेंगर), चिल्हाटी, जैतपुरी, जलसो, सुलौनी, सुकुलकारी, बेल्हा, हरदी, जैतपुरी, चिस्दा, सोनसरी, पतईडीह, सोन, हिर्री, जेवरा, केवतारा, मनवा, पचपेड़ी, बिनौरी, धुरवाकारी, कटाहा, जोंधरा, गोपालपुर, परसौदी, बसंतपुर, माकुंदपुर, भिलौनी, खपरी, मुढपार, कुकदीकला, सोहारडीह, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को 26 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 18/06/2024 को प्रातः 11:00 बजे स्थान-सड़क किनारे नैया तालाब के पास ग्राम-लोहर्सी, तहसील-पचपेड़ी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आर. ए. कुरुवंशी अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री मनीष कश्यप, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री राहुल यादव, जे.एम.इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड, गुडगांव (हरियाणा) के द्वारा मेसर्स एसीसी लिमिटेड, ग्राम-गोदाडीह, बोहारडीह, एवं लोहर्सी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) स्थित Proposed Integrated Cement Project-Clinker-3.3 Million Tonnes Per Annum, Cement-1.0 Million Tonnes Per Annum, CPP-30 MW, WHRS-17 MW and D.G. Set-2x2000 KVA and 1x500 KVA के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. **श्रीमती अहिल्या साहू, ग्राम-लोहर्सीसोन** :- मैं एसीसी कंपनी का, मैं समर्थन करत हव और स्वागत करत हव।
2. **श्री मनोज कुमार बंजारे, ग्राम-बोहारडीह** :- आज एसीसी कंपनी सीमेंट कंपनी हमारे गांव में प्लांट लगने वाला है जिसका मैं स्वागत और समर्थन करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में अडाणी फॉउन्डेशन के द्वारा सौर ऊर्जा चलित सिस्टम लगा हुआ है। जिसमें लीलागर नदी से लिफ्ट कर किसानों के खेत से पानी पहुंचाने का काम किया गया है, जिसमें फस्ट बार रवि की फसल में गोहूँ उत्पादन किया गया है, मैं इस कार्य के लिए, मैं अडाणी फॉउन्डेशन का बहुत-बहुत बार धन्यवाद देता हूँ आगे उम्मीद करना चाहता हूँ कि आगे इसी प्रकार की गतिविधि और किया जायेंगे। इसलिए मैं एसीसी सीमेंट प्लांट का मैं हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूँ।
3. **श्रीमती माधुरी साहू, ग्राम-लोहर्सीसोन** :- हमर गांव के विकास चाहिए। ऐखर बर मैं एसीसी कंपनी का हार्दिक स्वागत करत हव।
4. **श्री रामदुलारे रात्रे, ग्राम-बोहारडीह** :- मैं कंपनी से यह बात पूछना चाहता हूँ जो वास्तव में जिनकी जमीन है, क्या उनके साथ क्या दलाल से बात करने आये है, कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच दिया है, लेकिन जो वास्तव में जमीन का हकदार है, उनको आज तक पूछ परख नहीं है, वो बोलते है कि हम लोग को टेकादारी दे रहे है, क्या जो हम लोग का जमीन है, ये बताने के लिए कृपया कोशिश करेंगे।
5. **श्रीमती ललिता साहू, ग्राम-लोहर्सी** :- हमर गांव में सीमेंट फ़ैक्ट्री खुले करके हमन हार्दिक स्वागत करत हव, हमर गांव के उम्मीद ला पूरा करें।
6. **श्री ऋषि कुमार साहू, ग्राम-बोहारडीह** :- चूंकि एसीसी कंपनी द्वारा हमारे बोहारडीह में बहुत अच्छा ही कार्य कर रहा है। पानी का लेवल अच्छी तरह से संग्रहित कर रहा है, जिससे हमारे गांव में बहुत अच्छा से पानी का व्यवस्था हो रहा है, एसीसी कंपनी खुलने से हमारे गांव का विकास होगा, हमारे गांव के आदमी बाहर भट्ठा कमाने खाने जा रहा है, वह रूकेगा, पलायन रूकेगा, तो मैं अडाणी सीमेंट कंपनी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में कंपनी कारखाना खुलवा करके क्षेत्र का विकास करे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका समाधान करें। इस तरह से बहुत अच्छा कार्य करें।

7. **श्रीमती कविता साहू** :- यहां पर कंपनी खुलना चाहिए।
8. **कु. दिप्ती साहू, ग्राम-लोहर्सी** :- हमारे गांव में कॉलेज नहीं है। अपने छोटे भाई-बहनों के लाईफ के साथ खिलवाड नहीं करना चाहती हूँ। यहां कॉलेज का निर्माण करें और एससी कंपनी खुलने वाला है उसके लिए मैं तहे दिल से अपना समर्थन देना चाहती है।
9. **श्री मनहरण, ग्राम-बोहारडीह** :- एसीसी प्लांट का मैं समर्थन करता हूँ।
10. **श्री दामोदर कांत, जनपद पंचायत सहकारिता उद्योग स्थाई समिति का सभापति** :- आज लोक सुनवाई का आयोजन लोहर्सी में किया जा रहा है ये बहुत गर्व की बात है। यहां आसपास के गांव की मांग है कि फ़ैक्ट्री यहां लगना चाहिए, जिसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उसी परिपेक्ष्य में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। कि यहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, किसानों को उचित मुआवजा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी ध्यान में रखते हुए एसीसी पिछले कई वर्षों से विकास किया जा रहा है। आगे भी गांव के हित में, किसान के हित में लोगों के हित में एसीसी कंपनी योजना बनाकर काम करेंगे। मैं इस लोक जनसुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
11. **श्रीमती कोसले, ग्राम-लोहर्सीसोन** :- मैं गांव के विकास के लिए कंपनी को समर्थन करती हूँ स्वागत करती हूँ, कॉलेज बनना चाहिए, जिससे कंपनी का स्वागत करती हूँ।
12. **श्रीमती गणेश्वरी साहू, ग्राम-लोहर्सी** :- एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ।
13. **श्री रामप्रकाश सरपंच प्रतिनिधि भुरकुण्डा** :- हमारे यहां कंपनी खुलने से हम लोगों को रोजगार, शिक्षा, सड़क कंपनी करती है तो हम स्वागत करते हैं।
14. **श्री राजू टंडन ग्राम-भुरकुण्डा** :- मैं एसीसी कंपनी को समर्थन करता हूँ। मेरा एक सवाल है। जैसा कि एसीसी कंपनी खुलने के बाद हमारे यहां से लगभग 5000 से अधिक पेड़-पौधे कट जायेंगे, उस स्थिति में कंपनी क्या करेगी एवं रोड में गाड़िया चलेगी, भारी वाहन चलेगा, तो रोड का क्षति होगा एवं बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। कंपनी क्या करेगी, ये मेरा सवाल है और मेरा तीसरा सवाल है माइंस होने से हमारे घर को क्षति होता है आसपास के सभी प्रभावित गांव को क्षति पहुंचता है तो इस स्थिति में, कंपनी क्या करेगी एवं वॉटर लेवल नीचे जाने से इस

स्थिति में कंपनी क्या करेगी, मेरा सवाल है। मैं फिर से एक बार एसीसी को समर्थन करता हूँ।

15. **श्री लक्ष्मी प्रसाद भार्गव, ग्राम पंचायत टांगर, सरपंच प्रतिनिधि** :- मैं अपनी समर्थन देने से कुछ बातें अवगत कराना चाहता हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि काफी दिन समय से संघर्ष कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कंपनी आये, लोगों को रोजगार मिले, पलायन रूके, हमारे लोगों की मूलभूत समस्या है। कंपनी खुलेंगे, स्थानीय लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, पलायन रूके, हमारे लोगों की समस्याएं का समाधान हो। यदि यहां पर कंपनी खुलता है और खुलेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिले, पलायन रूकना चाहिए। क्योंकि यहां के लोग जम्मू-काश्मीर, इलाहाबाद, गुजरात जाते हैं, सबसे प्राथमिकता यहां के लोकल आम आदमी को होना चाहिए। दूसरा यहां पर किसान भाई, यहां एक ही बात बोलते हैं, हमारे जमीन का क्या रेट मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हमारे किसान भाई को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाये। ताकि उनका घर-परिवार सम्पन्न रहे। आगे कहीं और दूसरा उनका परचेस करना चाहते हैं, तो जमीन मिल जाय। राशि मिलना चाहिए। तीसरा पेयजल की बहुत समस्या है। अभी वर्तमान में हमारे लीलागर नदी के ऊपर निर्भर हैं पेयजल की स्तर इतना नीचे चला गया है। जिससे हम लोग दूसरे गांव से टैंकर से पानी मंगा रहे हैं। दूसरी चीज कंपनी आयेगा, तो सड़क में बड़ी-बड़ी गाड़िया चलेगी। सड़क का स्थिति तो आप पहले से देख रहे हैं। सड़क आप लोग बनवाये अच्छे से मजबूत सड़क, इसमें बड़ा-बड़ा हाईवा चल सके। लोगो को आने जाने का व्यवधान न हो सके। तीसरा है बिजली की व्यवस्था, सारे गांव में लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं-कहीं तार खराब हो गया है, या कहीं का पोल खराब हो गया है, आप लोग ठीक कराने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, हम चाह रहे हैं प्रत्येक गांव में अच्छे से अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करें। कॉलेज, शिक्षा की व्यवस्था पर आप लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य की बात है कंपनी आने से हम चाह रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले, स्वास्थ्य के विषय में आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी व्यय अभी प्रकृति से हुआ है। उसको तो आप काटेंगे। बहुत सारा पेड प्राकृतिक रूप से काटते हैं तो 1 पेड के जगह 10 पेड लगायेंगे। ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहे। पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई छेड़-छाड़ न करे। यदि आप ये सब आप करेंगे तो हमको पूरा भरोसा है। यदि आप सब मानते हैं तो हम तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं स्थानीय लोगों को रोजगार दे, इसमें किसी प्रकार को कोई बाहरी लोगों का एंट्री न हो, स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दीजिये। उनकी योग्यता के अनुसार, यदि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनपढ मजदूर है उनको कोई बड़ा

पोस्ट दीजिए। योग्यता अनुसार उनको काम दीजिए। हम चाहते हैं। यदि निवेदन है हमारा कंपनी से, कंपनी का स्वागत करते हैं।

16. श्रीमती मुन्नी बाई साहू, ग्राम-लोहर्सी :-कंपनी खुले, हम समर्थन करते हैं।
17. श्रीमती पुत्रीबाई कोसले :- मैं, कंपनी का समर्थन देवत हव।
18. श्री अशोक घृतलहरे, ग्राम-भुरकुण्डा :- मेरे पास कुछ मांग आया है। जमीन का जो मुआवजा है उसका 75 लाख का मांग किये है गांव वाले। इसको आप कलेक्टर साहब नोट कर लिजिए। जो जमीन कंपनी में बिक चुका है पहले, आदमी गरीबी-परिस्थिति में 1 लाख, 2 लाख एकड़ में बिका है। उसकी भी बीच का जो मार्जिन मनी है वो किसानो को मिलना चाहिए। जो भूमिहीन किसान है जिसका जमीन एसीसी में नहीं पड रहा है मजदूर वर्ग का व्यक्ति है उसके भी बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। हमारे यहां कंपनी खुलने का है। इससे तरक्की होगा, देश का विकास होगा। ये हमारे गांव के नहीं जहां-जहां खनिज सम्पदा है। वहां सरकार द्वारा कंपनी निमंत्रण देकर कंपनी खोलवाया जाये। तो हम शासन का भी सहयोग करना चाहते हैं, कंपनी का भी सहयोग करना चाहते हैं, कंपनी खुले, जन सुनवाई सफल हो। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
19. श्रीमती विमला साहू, ग्राम-लोहर्सी :-हमारे गांव के तालाब के गंदा पानी ला निकाले के कोशिश करें।
20. श्रीमती सावित्री बाई साहू, ग्राम-लोहर्सी :- एसीसी कंपनी का समर्थन है।
21. श्रीमती घृतबाई साहू, ग्राम-लोहर्सी :- बाहर के कोई मत आये, यहां गांव के बेटी-बेटा कहीं नहीं जाये, मैं कंपनी से सहमत हूँ।
22. श्रीमती लोकेश्वरी साहू, ग्राम-लोहर्सी :- गांव का रोड जरूरी है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है। एसीसी कंपनी को सहमत देती हूँ।
23. श्री सुरेश कुमार महिलांगे, ग्राम-बोहारडीह :- एसीसी सीमेंट कंपनी को समर्थन एवं स्वागत करता हूँ। कंपनी से मांग करता हूँ, हमारे जमीन का सही उचित मुआवजा का लाभ दे, किसान को नौकरी दे। हमारे गांव का जो विकास के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण करे, ताकि जनता ग्रामवासियों का पूरा हो।
24. श्री संतोष कुर्रे, ग्राम-बोहारडीह :- एसीसी अडाणी सीमेंट प्लांट कंपनी को मैं स्वागत करता हूँ एवं समर्थन करता हूँ। मेरे ग्राम बोहारडीह में एसीसी कंपनी के समर्थन में है। जमीन की उचित मूल्य सभी किसान को मिलना चाहिए। 60 लाख से

70 लाख प्रति एकड की दर से एवं स्थानीय प्रत्येक खाताधारक को एक नौकरी दिया जाये। पर्यावरण सुविधा, शिक्षा सुविधा एवं एसीसी कंपनी से मांग करते हुए मैं समर्थन करता हूँ।

25. श्री सुभाष कुमार टण्डन, इंजीनियर, ग्राम—भुरकुण्डा :- निवेदन है कि ईआईए रिपोर्ट के अपूर्णता कुछ तथ्य छुपाये गये है। इसका क्रमवार व्यापक मैं उल्लेख कर रहा हूँ। एसीसी सीमेंट प्लांट के द्वारा जन सुनवाई के लिए आवेदन वर्ष 2022 में किया गया था। जन सुनवाई को जन स्तर पर ही निरस्त किया गया। 18 जून 2024 को सुनवाई रखी गई है, जबकि अभी तापमान बिलासपुर जिले का 44 से 45 डिग्री है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। 18 जून में तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। मानव जीवन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसी जन सुनवाई प्रतीत हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा विभाग ने अभी गर्मी चल रहा है कहकर 16 जून को आदेश दिया है कि घरों में रहने की सलाह दी जा रही है जनता को। छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश दिया है अभी। 26 तारीख को स्कूल खोलने के लिए कहा गया है। स्थगित जन सुनवाई को पुनः कराया जाना है तो संबंधित कंसलटेंट से जो ईआईए रिपोर्ट बनाई गई हैं उसकी उपयोगिता 2 वर्ष तक होती है। जबकि जन सुनवाई 18 तारीख को देखे तो ईआईए रिपोर्ट बनाने में 2 साल 3 महीना हो गया है। जबकि 3 महीना एकस्ट्रा हो गया है ईआईए रिपोर्ट बनाने में नयी रिपोर्ट बनाकर जनता के अवलोकन हेतु ग्राम पंचायतो में पुनः भेजा जाना था। जबकि एसीसी अडाणी सीमेंट प्लांट के द्वारा पुरानी ईआईए रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई रखी गई है, जो भारत सरकार के 14 नवम्बर के उद्योग नीति की अवहेलना है। जन सुनवाई का पूर्णतः उल्लंघन है। तीसरा एसीसी सीमेंट प्लांट ग्राम पंचायतो का अनापत्ति प्रमाण पत्र ईआईए रिपोर्ट में संलग्न नहीं किये गया है जो कि भारत के पंचायती राज अधिनियम कानून की अवहेलना एवं दण्डनीय अपराध है। चौथा ईआईए में कंपनी के द्वारा भौगोलिक कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। जिस स्थल पर जन सुनवाई हो रही है, यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शिवजी का स्थापित मंदिर पौराणिक है स्थल से वायु सीमा की दूरी के हिसाब से 3.7 किलोमीटर की दूरी पर त्रिभुज जंगल में जहां पर हिरण, जंगली सूअर, मोर इत्यादि खरगोश जंगली जानवर पाये जाते है। स्थापित प्लांट से 9.6 कि.मी. की वायु सीमा की दूरी पर मल्हार का ऐतिहासिक मंदिर, डिडेश्वरी स्थापित है। स्थापित मूर्ति काले ग्रेनाइट की है। जो 3 बार स्वरूप बदलती है, जो पुरातात्विक विभाग के उत्खनन के राजवंश के द्वारा हमारे यहां मूर्ति स्थापित की गई थी। जो खुदाई के दौरान आज भी संग्रहालय में रखी गई है। पत्थर के ब्लास्ट से दोनों स्थानों पर काले ग्रेनाइट की मूर्ति को क्षति पहुंचाया गया था। ऐसे स्थान

से किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग स्थापना नहीं हो सकती है। भारत सरकार के 2006 के उद्योग नीति के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। एसीसी सीमेंट प्लांट के द्वारा जिस कंन्सलटेंट के द्वारा ईआईए रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट में 1,27,632 खम्हार, कौहा, साजा, आम, महुआ, तेंदू, अचार, हर्रा, बहर्रा, नीम, बबूल, 2000 सागौन का पेड़ जहां एसीसी कंपनी का आफिस बना हुआ है। विद्याडीह, टांगर जस्ट उसके सामने में उसका ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। जडी-बूटी औषधी उल्लेख नहीं है। छोटे-बड़े 42 तालाबो का उल्लेख नहीं है। आधे-आधे साक्ष्य छिपाने का रिपोर्ट में कंन्सलटेंट एवं एसीसी कंपनी का अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसको छुपाना अपराधिक श्रेणी में आता है। मानव जीवन के स्वास्थ्य पर दुष-प्रभाव पड़ता है। संबंधित ईआईए रिपोर्ट में अवलोकन करना, हर क्षेत्रवासी से पंचनामा रिपोर्ट बनाई जाती है, जो पंचनामा की ईआईए रिपोर्ट संलग्न नहीं है। रिपोर्ट को बंद कमरे में बनाया गया है। जो कि भारत सरकार के उद्योग नीति 2006 के संबंधित उद्योग 10 कि.मी. की दूरी के दायरे में वायु सीमा की दूरी में 12 ग्राम पंचायत को रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। जबकि 05 ग्राम पंचायतों के लिए रिपोर्ट लिखित गई है। एसीसी कंपनी की वायु समी से 10 कि.मी. की दूरी पर 12 पंचायते आती है। 2 जिले आते है पहला जिला जांजगीर-चांपा की दूरी 3.0 कि.मी., दूसरा जिला बलौदा बाजार की दूरी 4.5 कि.मी. की दूरी है। भारत सरकार के उद्योग नीति के तीनों जिले में जन सुनवाई होती है। लेकिन सिर्फ बिलासपुर जिले में जन सुनवाई कर खाना पूर्ति की जा रही है। जो कि निरंक तथा मस्तूरी क्षेत्र मे सूखा क्षेत्र होने के कारण जल संकट, किसानों मजदूरो अन्य राज्यों में पलायन करते है क्षेत्र की जनता से जन सुनवाई कागजी कार्यवाही से ज्यादा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत विद्याडीह, टांगर, भुरकुण्डा, घोडाडीह, बोहारडीह, लोहर्सी, सोन के समस्त ग्राम वासियों का कहना है कि हमारे जमीन की उचित मुआवजा, पर्यावरण प्रदूषण, जल स्तर नीचा जाने, ग्राम वासियों को रोजगार आदि ईआईए रिपोर्ट में नहीं है। इसलिए नाराज होकर ग्रामवासियों ने आवेदन के अनुसार रिपोर्ट किया है। हमारे सभी ग्रामवासियों में, एसीसी वालो ने लोगों को खिला-पिलाकर, ललचाये काम करवाने के लिए कम दामों में खरीदे। अधिक दाम में अडाणी को बेच दिये जिसकी सूचना किसी किसान को नहीं दिये। गुमराह झूठ बोलकर हमारे जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है। एसीसी कंपनी की धोखाधडी हाईकोर्ट में लगायेंगे। जयरामननगर में ऐसी किसान की जमीन को पॉवर प्लांट वाले को कम दाम में बेच दिया। एसीसी प्लांट स्थापित होना है। जन सुनवाई बोहारडीह में आयोजित की गई थी। 5 कि.मी. की दूरी में लोहर्सी सोन है क्यों रखी गई है, जन सुनवाई को बोहारडीह में रखा जाना चाहिए

था। ईआईए रिपोर्ट में अपूर्ण जानकारी को 2 वर्ष पुरानी ईआईए में जन सुनवाई के भारत सरकार के उद्योग निति वर्ष 2006 के अनुसार विधि मान्य नहीं है। अतः मान्य नहीं है। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ। इसको निरस्त किया जाना चाहिए।

26. श्री मोहितराम, ग्राम—बोहारडीह :- मैं, कंपनी का बहुत समर्थन करता हूँ जल्द से जल्द प्लांट लगाये और लोगों को रोजगार दे।
27. श्रीमती कमल बाई बंजारे, ग्राम—बोहारडीह :-कंपनी खुलना चाहिए। सब बाल बच्चा गांव के काम देना चाहिए, समर्थन तत्काल करना चाहिए।
28. श्रीमती कविता बंजारे, ग्राम—बोहारडीह :-एसीसी कंपनी को समर्थन देवथ, कि गांव मा, हर आदमी मन ला, नौकरी भी मिलना चाहिए, जो आये है उसको भी जो नहीं आये है उसको भी।
29. श्रीमती यशोदा साहू, ग्राम—लोहर्सी :- एसीसी कंपनी समर्थन है।
30. श्री जितेन्द्र साहू, ग्राम—लोहर्सी :- मैं एसीसी कंपनी का स्वागत करता हूँ। हमारे गांव के सर्वसम्मति से ही यहां जनसुनवाई रखा गया है। कागजी कार्यवाही के द्वारा ही यहां पर जन सुनवाई किया जा रहा है, अतः मैं एसीसी कंपनी का स्वागत करता हूँ, जिससे हमारे गांव के युवाओ को रोजगार प्राप्त होगा, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसलिए मैं एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ।
31. श्री ओम प्रकाश महंत, ग्राम—भुरकुण्डा :-—एसीसी अडाणी ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन लोहर्सी में बहुत ही हर्ष की बात है, कि ये कंपनी हमारे क्षेत्र में खुलने वाली है। बहुत अच्छी बात है। किन्तु हमारे बीच आके जो, जो युवा साथी है, कुछ अपने मांग रखे है, उन सबकी पूर्ति करनी चाहिए, हम समर्थन करते है इस कंपनी का एक बार नोट कर लिजिए। यहां पर जो भी जमीन कम कीमत में खरीदी गई है, उनका अवलोकन करके आप उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करेंगे, आपसे अर्जी करता हूँ, अपना मांग रखता हूँ पूरे गांव के प्रतिनिधि होने के नाते, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है हम समर्थन करते है। हमारी मांग पूरी हो, यही प्रार्थना करते है।
32. श्री खेलन कुमार बंजारे, ग्राम—भुरकुण्डा :-—एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ क्योकि और समर्थन के साथ मेरा मांग यह है, कि हमारा क्षेत्र पलायन क्षेत्र ग्रसित क्षेत्र है, यहां बहुत किसान वर्ग लोग पलायन होते जिसे पशु चिकित्सा अलग—अलग जाती है, क्षेत्र में एम्स की तरह बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की मांग रखता हूँ, जिससे आसपास के गरीब बच्चों को लाभ हो उनको शिक्षा के लिए उचित हो

प्रभावित गांव को सुविधा मिले। पेयजल अन्य शिक्षा, चिकित्सा, समस्त मूल-भूत सुविधा का संयोग हो।

33. श्री नंद कुमार यादव, ग्राम-गोडाडीह, सरपंच प्रतिनिधि :- मैं, आप लोगों से ये मांग करता हूँ कि यहां कंपनी खुलने से युवाओं को रोजगार तो मिलेगा। लेकिन किसी-किसी का 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, अगर उस व्यक्ति का नौकरी लगता है, लेकिन हमारे ऐसे 3-4 गांव हैं, जो उस जमीन मालिक का जमीन उसको बो करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, रोजी-रोटी चलाता है। मैं चाहता हूँ जिस किसान का जमीन अगर कंपनी द्वारा लिया जाता है, उसको नौकरी देने के साथ-साथ जिसका जमीन नहीं गया है, जो किसान के जमीन में अपना परिवार का जीवन-यापन करता है, उसके बच्चे को योग्यता अनुसार कंपनी में नौकरी दिया जाये। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस कंपनी में काम करने नहीं चाहते। काम करने के योग्य नहीं है। उसको प्रतिमाह पेंशन दिया जाये। ऐसे कंपनी के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत में बहुत काम हुआ था। हमारे गांव में एक भी भवन नहीं था। लेकिन एसीसी के द्वारा भवन का निर्माण कराया गया है जिसमें बाहर से बराती वगैरह आते हैं, वो ठहरते हैं, मैं कंपनी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जो कंपनी में जमीन को बेच है जो गरीब मजदूर है, वो अपने आर्थिक मजदूरी के कारण जमीन को बेच दिये हैं, तो मुआवजा नहीं मिल पाया है, उसको भी कंपनी द्वारा निर्धारित किया जायेगा उनको भी मुआवजा दिया जाये। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के कर्मचारी-अधिकारी के बच्चे बड़े-बड़े स्कूल में पढते हैं उसी मॉडल के माध्यम से इस प्रभावित गांव में स्कूल बनाया जाये। इससे गरीब मजदूर का बच्चा भी अच्छे से स्कूल में पढकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और हमारी मांग है, जिससे मैं इस आवेदन में लिखा हूँ। अपने पंचायत की ओर से इस कंपनी का समर्थन करते हैं।

34. श्री नितीन दिनकर, ग्राम-गोडाडीह :- आज लोहर्सी में जन सुनवाई हो रहा है, इसका कुछ मांग है, अपने गांव में 75 लाख किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पूर्व में किसानों दलालों के चक्कर में 2 लाख, 3 लाख में बेचा गया है। उसको पुर्नवास योजना नीति है शासन का उस हिसाब से 4 गुना राशि मिलना चाहिए। जैसे बोहारडीह में एसीसी कंपनी द्वारा लीलागर नदी से पानी का व्यवस्था किया है। वैसे गोडाडीह में अति पानी दुख गांव है, वो बोहारडीह से लीलागर-नदी से बोडाडीह से पाईप बिछाकर के पानी की व्यवस्था करें, गोडाडीह में अस्पताल, हाई स्कूल का स्वीकृति करने की कृपा करें, रोजगार खोलने की कृपा करें। तभी हमारे गांव का उन्नति होगा। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ स्वागत करता हूँ।

35. **श्री केदारनाथ घृत लहरे, ग्राम-गोडाडीह** :- एसीसी कंपनी का स्वागत करता है, सरकार प्रभावित किसान के परिवार को उचित मुआवजा राशि दिया जाये। पहले जो जमीन बेचा है कंपनी में, कंपनी लिया है। उसको अभी वर्तमान रिकार्ड के अनुसार पैसा दिया जाये।
36. **श्री भारद्वाज, ग्राम-गोडाडीह** :- एसीसी लिमिटेड हमारे बोडाडीह लोहर्सी, बोहारडीह में हार्दिक अभिनंदन व समर्थन है। हमारा समर्थन के साथ कुछ मांगे भी है जो निम्न प्रकार के है, हमारे ग्राम के प्रभावित ग्राम के किसान जितने भी आते है उनकी जमीन पर उचित मूल्य में खरीदी कर उचित मुआवजा दे। जो जमीन पूर्व बिक्री हो गई है, उनका अंतर राशि में मुआवजा प्रदान करें। जो जमीन प्रभावित दिशा में आता है, उनको भी उचित मूल्य में खरीदी करें, प्रभावित किसान के जो परिवार है और जो काम करने के इच्छुक है। उनको रोजगार प्रदान करें। प्रभावित किसान के परिवार जो काम करने के इच्छुक नहीं है। उचित पेंशन की व्यवस्था कराई जाय। प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की जाये। प्रभावित ग्रामों में अपोलो की तर्ज पर हॉस्पिटल की सुविधा किया जाय। नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन किया जाय। प्रभावित ग्राम के व्यवसाय को योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित रोजगार के लिए पहली प्राथमिकता लो। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पानी की अति दिक्कत होता है। उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया जाय। ग्रामीण विकास के लिए पंचायत व कंपनी के साथ उचित हिस्सेदारी भी रखें। उद्योग से संबंधित फसल विकास की व्यवस्था, पंचायत, पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखते हुए, जल-जंगल जीवो का विशेष ध्यान रखते हुए की व्यवस्था की जाये।
37. **श्री आशाराम, ग्राम-गोडाडीह** :- मैं, एसीसी कंपनी को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, हमारे यहां एसीसी कंपनी प्रोजेक्ट खुलने जा रही है, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाई लोग बता चुके है किस-किस प्रकार की किसानों का मूल-भूत समस्या है। खेतों का सही मुआवजा है और मैं क्या बोलूंगा।
38. **श्रीमती तुलसी निर्मलकर, ग्राम-बोहारडीह** :- एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ। हमारी कुछ मांगे है, हमारे चारो-पांचो ग्राम पंचायतों जो एसीसी कंपनी के अंतर्गत आती है। उसके लिए हमारे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पलायन चले जाते थे, पलायन की स्थिति यहां पर रूकना चाहिए। अच्छी शिक्षा की सुविधा, पेयजल की सुविधा देना चाहिए। एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ।

39. श्रीमती अलिसा भार्गव, ग्राम—टांगर :-एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ। गांव में छोटे-छोटे बच्चे है स्कूल भी नहीं है, उसके लिए स्कूल बनवाये। एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ।
40. श्रीमती सावित्री, ग्राम—खम्हारडीह :- हमर सब खेत कंपनी मा निकलत हे। हमारे बाल बच्चों को नौकरी दिया जाये। एसीसी कंपनी का समर्थन करत हव।
41. श्रीमती रामकली, ग्राम—सोनलोहर्सी :- कंपनी खुलना चाहिए। मैं ओला समर्थन देव हव। हमर छोटे-छोटे, भाई—बहनी, परदेश जाथे। तेला कुछ—कुछ काम मिलना चाहिए।
42. श्रीमती तुलसी प्यारी साहू, ग्राम—लोहर्सीसोन :- मैं, एसीसी कंपनी ला, समर्थन करत थव। स्वागत कर हव।
43. श्रीमती गोदावरी साहू, ग्राम—लोहर्सीसोन :- एसीसी कंपनी ला, समर्थन, दे थव।
44. श्रीमती साहू, ग्राम—लोहर्सीसोन :-कंपनी खुले, मैं सहमत थव।
45. श्रीमती चंद्रकांती साहू :-हमारे गांव का रोड बहुत खराब है, समर्थन है।
46. श्री राजू टण्डन, ग्राम—भुरकुण्डा :- मैं 2010 से फैक्ट्री खुलने का इंतजार कर रहा हूँ, एसीसी कंपनी का मैं स्वागत करता हूँ, जल्द से जल्द फैक्ट्री खुले, हम लोग को नौकरी दे, गरीब लडका है, बेरोजगार है, उन लोगों को भी नौकरी देने की कृपा करें।
47. श्री मुकेश कुमार, ग्राम—लोहर्सी :- एसीसी प्लांट से निवेदन है कि, यहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य का बाउण्ड्रीवॉल नहीं है, कृपया करके बाउण्ड्रीवॉल बनाने की कृपा करें।
48. श्रीमती बबीता साहू :- एसीसी सीमेंट का समर्थन करती हूँ।
49. श्रीमती बिमला बाई निर्मलकर, ग्राम—सोन लोहर्सी, सचिव :- समर्थन है।
50. श्रीमती गुलाबा बाई :-समर्थन है।
51. श्रीमती लता बाई :- समर्थन है।
52. श्री भागबली घृतलहरे, ग्राम—बोहारडीह :- मैं, एसीसी कंपनी से निवेदन करना चाहता हूँ, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री खुलता है, तो हमारे गांव में नर्सरी से कॉलेज के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपोलो के तर्ज में हॉस्पिटल खोला जाये, तब फैक्ट्री खुलेगा तो पेयजल का स्तर निचे चले जायेगा, उससे भी पानी का व्यवस्था हर घर

में पहुचाने के लिए किया जाये और प्रभावित जितने भी गांव है नदी, नाला, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह के और जमीन की कीमत प्रति एकड़ 60 लाख रूपया किया जाये, जो व्यक्ति समस्या के कारण बेरोजगारी समस्या के कारण जमीन बेच दिया गया है। वर्तमान का जो रेट है उसकी अंतर की राशि प्रदान किया जाये। जिसका जमीन गया है उसको योग्यता के हिसाब से रोजगार दिया जाये। गरीबी लोग के पास जमीन नहीं है। दूसरे का जमीन या किसी के जमीन में खेतीबाडी करके जीवन यापन कर रहे थे। उनको भी रोजगार दिया जाये और निवेदन करना चाहता हूँ एसीसी फ़ैक्ट्री से 60 वर्ष के जो बुजुर्ग है जो काम करके को पेंशन दिया जाये। ऐसा आशा और विश्वास के साथ एसीसी कंपनी को स्वागत करना चाहता हूँ।

53. **श्री गनपति सिंह भार्गव, ग्राम—विद्याडीह टांगर** :— एसीसी कंपनी समर्थन करत हव। सब भाई तो बोल ही डाले हे।
54. **श्रीमती पदमा खण्डेकर** :— मुआवजा मिले।
55. **श्रीमती तपेश्वरी गंधर्व, ग्राम—लोहर्सीसोन (भाटापारा)** :— ये एसीसी कंपनी खुल रहा है, ये जितने जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना आवश्यक है। हम लोग कंपनी को जितना एहिमयत दे रहे हे। कंपनी वाला भी उतना महत्व देगा, तभी बनेगा। साथ ही हम जो मोहल्ले में रहते है वहां पर रोड, बिजली, पानी, इंदिरावास का भी जरूवत है। दो—चार घर में इंदिरावास बाथरूम बना है, हमारी जरूवतों को पूरा करें।
56. **श्री शत्रुघन भार्गव** :—एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ।
57. **श्री कुर्रे** :— एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ, मोर जमीन एसीसी कंपनी में 10 साल पहले 2 लाख एकड़ मा बिके हवय।
58. **श्री राम कुमार साहू, पूर्व सरपंच** :— प्लांट खुले, सुखी जीवन दे, हमर बाल—बच्चा मन के। जतका 122 एकड़ जमीन फंसे हे। बेजा—कब्जा करे हन, चाहे पट्टा दे हन। तो ओला मुआवजा देवा। मुआवजा नहीं दीही तो जमीन नहीं देबो, यही मांग करत हव। गोढाडीह से लोहर्सी तक 4 कि.मी. तक हमर बहनी मन पढे आथे। हैण्डपंप पहली करवा देव। गायत्री मंदिर से लेकर चिल्हाटी मंदिर तक एक ठीक डमरीकरण रोड बनवा दो। यहीं मांग रखे हव निश्चित 70 से 80 साल के जमीन के मुआवजा मिले।

59. **श्री धनसिंह कुर्रे, ग्राम—भुरकुण्डा** :- जेकर जमीन नहीं है, ओला खास करके, वो खावत हे, ओला नौकरी देना चाहिए। काबर वो बेघर हो जाही। ओला मोर निवेदन है जैसे—पढ़े लिखे है वैसे नौकरी देना चाहिए।
60. **श्रीमती सरिता डहरिया, ग्राम—बोहारडीह** :- हमारे यहां कंपनी खुल रहा है, मैं सहमत दे रही हूँ।
61. **श्रीमती रोशनी बंजारे** :-कंपनी का समर्थन दे थव कि सभी गरीब को नौकरी देना चाहिए।
62. **श्री सरिता लसकर, ग्राम—बोहारडीह** :- एसीसी कंपनी का समर्थन देती हूँ, खेत के जगह ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे, मैं एसीसी कंपनी में समर्थन देती हूँ।
63. **श्रीमती शकुंतला बंजारे, ग्राम—बोहारडीह** :- एसीसी कंपनी का समर्थन देके, पहली 4-5 गांव के बच्चा मन ला नौकरी, रोजगार दिया जाये, बडे से बडे हॉस्पिटल नहीं है, बच्चा मनबर हॉस्पिटल बर मांग करत हव।
64. **श्रीमती दीप्ती साहू, ग्राम—लोहर्सी** :- मेरा यह मांग है कि, मुझे सामुदायिक भवन दिया जाये, बच्चो के लिए बरसात के दिनों में रास्ता इतना ज्यादा खराब हो गया है कि कीचड में बच्चे लोग गिर जाते है, लोहर्सी से चिल्हाटी जाना पडता है। यहां ये समस्या है। यहां के किसान बहुत दिक्कत में भी है, रवि फसल भी दिया जाये यहां, यहां आसपास के क्षेत्र में इतना, रवि फसल हो रहा है, हमारे गांव के लोग बैठे है, एसीसी कंपनी से इतना अनुरोध कर रही हूँ, मैं यहां पर ये शब्द को बोल रही हूँ ध्यान में रखते हुए आगे ध्यान दिया जाये। एसीसी कंपनी से समर्थन करना चाहती हूँ। यहां कितना दिक्कत है।
65. **श्री राजेश्वर भार्गव, बिलासपुर** :- उद्योग नीति के तहत अगर एसीसी कंपनी गोढाडीह मा उद्योग स्थापित करना चाहत हे, अपना समर्थन देता हूँ लेकिन यहां पर प्रभावित किसान है, उनके बच्चे को योग्यता अनुसार नौकरी, जो किसान के जमीन को अधिग्रहण कर खरीद रहे है, उसको बिचौलिया के तहत न लिया जाये। डायरेक्ट किसान के माध्यम से कंपनी खरीदा जाये और जो सरकारी रेट है नियम है, उसके तहत उस गरीब किसान की जमीन है उनको लिया जाय। पर्यावरण के तहत जितना पेड़-पौधा लग रहा है, उनको 4 गुना पौधा रोपण किया जाये। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पौध रोपण किया जाय। ये एरिया पानी का एरिया है, जनहित में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था की जाय। अच्छे स्कूल, मॉडल हॉस्पिटल, प्रशिक्षण के लिए आईटीआई का निर्माण किया जाये। अगर कंपनी हमारी

मांग को मांगते हैं, ध्यान में रखकर करते हैं, तो मैं इस कंपनी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और समर्थन देता हूँ।

66. **श्री धर्मेन्द्र कौसले, जनपद सदस्य मस्तूरी** :- सभी जनहित में किसानों का मामला है, पढाई का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, सभी को ध्यान में रखते हुए यहां पर किसानों का मामला है, एसीसी कंपनी उस शर्त में सभी को लेके चले सभी को मुआवजा मिले। उस स्थिति में जनपद परिवार की ओर से कंपनी को समर्थन करता हूँ।
67. **श्री कृष्ण कन्हैया निषाद** :- मुआवजा दे।
68. **श्री संतोष पिसदा, ग्राम-मस्तूरी** :- मैं, एसीसी कंपनी के समर्थन के बारे में बात करना चाहता हूँ, कंपनी कोई सी, भी कंपनी हो, क्षेत्र के विकास के लिए काम आती है, कंपनी अच्छी नीति के तहत काम करें, लोगों का विकास करें।
69. **श्री चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम-लोहर्सी** :- मेरा मांग है कि सर, हमारे आसपास के जो बड़े-बड़े गांव हैं मल्हार हैं आदि। उन सब का बढ़िया से विकास होता रहे, बलौदा बाजार जिले में, जांजगीर जिले में, लेकिन हमारे बिलासपुर जिले में यहां पर कुछ विकास नहीं है, न रोड है, न लाईट की सुविधा है, न रोड है। स्कूल है लेकिन कॉलेज नहीं है, कॉलेज की कमी है, मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत जैसा विकास होता है व हमारे गांव में हो, जैसे-सडक, बिजली, पानी की व्यवस्था उसी शर्त में मैं कंपनी खुलने का समर्थन करता हूँ।
70. **श्री सोन चरण साहू, ग्राम-लोहर्सीसोन** :- एक ठीक बात है, गांव के सडक, बिजली, अस्पताल बनत है, मोर गांव में एक बूंद पानी नहीं रहय। उसको पहले बनवाना चाहिए। उस पानी से पूरे नाले का निकासी हो सकता है। ये जरूरी है और गौ माता के लिए कुछ जमीन आवश्यकता है।
71. **कु. सरस्वती भार्गव, ग्राम-टांगर** :- एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ, मेरे गांव में शिक्षा-विकास की व्यवस्था की जाय।
72. **श्रीमती फूलकुमारी** :- एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ।
73. **श्रीमती सहर बाई यादव, ग्राम-सोनलोहर्सी** :- गौ-माता के लिए होना चाहिए, कंपनी के लिए समर्थन करते हैं।
74. **श्री पैकरा** :- मेरा बोलना था कि मेरे क्षेत्र को धान का कटोरा बोला जाता है, ये मस्तूरी क्षेत्र में, ये कृषि के क्षेत्र में, ये हमारे छोटे बहन हैं दीदी लोग हैं, सबको

रोजगार मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सभी लोग पलायन के लिए जाते हैं। अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कृपा करे। एसीसी कंपनी का समर्थन देता हूँ खोला जाय।

75. **श्री ओ पी पटेल, मस्तूरी** :- यहां जो क्षेत्रीय मांग है, तो विशेष ध्यान देते हुये एसीसी सीमेंट जो लोक सुनवाई है। इसका मैं समर्थन करता हूँ। यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए यहां पर जो क्षेत्रीय मांग है। उसको प्राथमिकता में लेते हुए। मेरा आशा है आप इसे विशेष ध्यान देंगे। क्षेत्रीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करते हुए आप प्लांट लगाईय। क्योंकि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के प्लांट लगना चाहिए। इसमें मूलभूत चीज ये है कि क्षेत्रीय लोग को नाराज न करते हुए मांग को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहां पर प्लांट लगाईये। मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ।
76. **श्रीमती सावित्री कोसले, ग्राम-लोहर्सी** :- चिल्हाटी से ससहातम मेन रोड बनाना चाहिए और यहां कॉलेज खुलना चाहिए। मैं कंपनी के समर्थन में हव।
77. **श्री अरूण कुमार खण्डेकर, ग्राम-बोहारडीह** :- एसीसी कंपनी का मैं समर्थन करता हूँ, जो आज से 10 वर्ष पहले से हमारे गांव में काम कर रहे है, बिजली, पानी सुविधा के लिए और आगे काम करेंगे यही आपसे प्रार्थना है।
78. **श्रीमती सोनकुंवर** :- एसीसी कंपनी खुलना जरूरी है।
79. **श्री समेलाल कंवंट** :- कंपनी का स्वागत करता हूँ। प्रति किसानों को 1 एकड़, 1 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि अभी गांव वाले पलायन होते है, काम करने के लिए। जैसे कंपनी खुलेगा तो गांव वाले गांव ही पलायन हो जायेगा। उसके लिए सभी किसान को गांव वाले को कही पे जमीन दे। कही रहने के लिए सुविधा हो कंपनी स्थापित होता है उस दिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का उद्घाटन होना चाहिए। हमारे गांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है, वो होना चाहिए, वहां पर जिस दिन कंपनी का उद्घाटन होता है, सभी किसान को 4 गुना उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो किसान का जमीन नहीं है उसको भी रोजगार मिलना चाहिए।
80. **श्रीमती प्रमिला साहू** :- एसीसी कंपनी को समर्थन देना चाहती हूँ, गांव में रोड में अच्छे से बने गांव में स्कूल कॉलेज खुले गांव का विकास हो।
81. **श्रीमती वर्षा कश्यप, ग्राम-पूंजीपाली** :- एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ।

82. **श्री उज्ज्वल जोशी** :- एसीसी कंपनी का विरोध करता हूँ, इसका भी एक कारण है। क्योंकि अगर खोल रहे हो, तो जमीन लिये हो उसका भी मुआवजा देना चाहिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में ले रहे हो। उसका भी जो रेट आयेगा उस रेट में जमीन का रेट देते हो, तो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन उसमें एक बात है लेते हो जिसमें 1100 एकड़ है लेना है, आप लोगों को तो एक साथ लीजिये। आज 1 एकड़, कल 2 एकड़ ले लिये। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर लेना है तो एक साथ लो। अगर इस बात में आप लोग सहमत हो तो मैं एसीसी कंपनी का स्वागत करता हूँ।
83. **श्री बी. पी. सिंह, मस्तूरी** :- यहां पर एसीसी प्लांट है, कुछ शर्तों के साथ मैं समर्थन करता हूँ, सबसे अच्छी बात है पालुशन अच्छे से देखरेख हो। पर्यावरण की व्यवस्था को देखे। ज्यादा से ज्यादा लोकल लोहर्सी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। सबसे पहली बात ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। अगर छत्तीसगढ़ में ऐसे कई लोग नई है, बाहर से एम्पलाई को प्लेसमेंट किया जाये, ये सभी शर्तों के साथ मैं एसीसी सीमेंट का अच्छे उद्योग नीति के साथ स्वागत करता हूँ ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार की व्यवस्था हो।
84. **श्री सुखचंद पात्रे, ग्राम-भुरकुण्डा** :- मैं एक किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। मेरा डिमांड है हम लोग जितने खेती कर रहे है, जीवन-यापन कर रहे है, तो हमारा डिमांड है कि प्रति डिसमिल 1 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया जाये कंपनी। जो हमारे मूल भूत सुविधाएं है शिक्षा, रोजगार, सडके वो सब पर एसीसी कंपनी उस चीजों को पूरा करें यही हमारी डिमांड है कंपनियों से।
85. **श्री इंजीनियर रामनाथ जितपूरे** :- ईआईए रिपोर्ट फर्जी है, एसीसी कंपनी की ईआईए रिपोर्ट फर्जी है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। यहां का माहौल को देखके ऐसा लग रहा है, कि यहां पर किसान और एसीसी कंपनी का लेन-देन है। यहां पर ये व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हमारे को समझाते तो हो सकता है, लोग पूरा फर्जी है। पुलिस व्यवस्था है। उस स्थान पर कोई जुर्म हो चुका है, या तो होने वाला है। यहां पर उपस्थित किसान को क्यों आना पडा। पंच, सरपंच, एवं अन्य प्रतिनिधि को हम लोग चुने है, लेकिन हम लोग को क्यों यहां आना पड रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग प्रतिनिधि चुने नहीं हो, किसान भाईयों आप लोग प्रतिनिधि चुने नहीं हो, इसलिए आ करके अपना जमीन को प्रतिनिधि को जल, जंगल, जमीन को बेच रहे है, नहीं तो नहीं बेच सकते। इसलिए सोच समझ के जन प्रतिनिधि चुनना चाहिए। विरोध करते है, हम लोग को आना पड रहा है। किसान भाई प्रतिनिधि नहीं चुके हो। जल जंगल जमीन को बेच रहे है, सोच-समझ कर

जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। अडाणी, का किसे को पता नहीं है। एसीसी कंपनी को कौन समर्थन दिये थे, अडाणी को बेच दिये, अडाणी के बारे में किसी को नहीं मालूम है। एक चीज बताना चाहूंगा जैसे कि गोदीनामा होता है, गोदीनामा का मतलब में समझता हूँ उत्तराधिकारी जमीन जायजाद का उत्तराधिकारी होता है। गोदीनामा नहीं है सबको बोलते हैं ये गुलाम बनाया जा रहा है, गोदीनामा है तो एसीसी कंपनी बता दे कि सभी गांव में कितने-कितने प्रतिशत गोदीनामा ले रही है। हम लोग कुछ समझते।

86. **श्री भीम कुर्रे, ग्राम-भुरकुण्डा** :-एसीसी कंपनी को समर्थन देता हूँ।
87. **श्री मनीष कुर्रे, ग्राम-भुरकुण्डा** :-हमारे गांव में पानी का विकास, स्कूल का विकास अच्छा व्यवस्था सभी का विकास होना चाहिए। लोक निर्माण के लिए भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं एसीसी कंपनी को।
88. **कुमारी सिमरन बंजारे, ग्राम-पतई** :-आप लोग को पता है कि भविष्य में एसीसी कंपनी सीमेंट खुलने वाला है, आसपास के गांव में जितना जनता, मनुष्य मन है, वो मन ला रोजगार मिल सकता है, साथ-साथ बिजली सड़क के निर्माण हो सकता है। स्कूल, कॉलेज के सुविधा मिल सकता है। जैसेकि मोर छोटे-छोटे भाई-बहन, दूर-दूर पढ़े जाते। ओखर से इनला दिक्कत नहीं होवये।
89. **कुमारी राजमती खरे, ग्राम-केवडाडीह, टांगर** :-एसीसी कंपनी खुलने से, हम लोग लड़की लोग को फ्री में सिलाई सिखाया जा रहा है और काम के लिए भी बाहर भेजा जा रहा है। उसका तनखा 15000 रुपये है। अगर कंपनी खुल जायेगा तो मांग करेंगे।
90. **कुमारी विनिता राय, ग्राम-केवडाडीह, टांगर** :- कंपनी खुले में समर्थन करती हूँ।
91. **श्री हरीशचंद्र कुर्रे** :- मोर एक अनुबंध है 7 बिन्दु में है, पहला 50 लाख प्रतिएकड, दूसरा हमारे ग्राम में उचित पेयजल की व्यवस्था। तीसरा नौकरी और पेंशन की। बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए। स्थापन नियमों को पालन होना चाहिए। बाईपास रोड की व्यवस्था होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ।
92. **श्री भूषण सिंह मधुकर, ग्राम-पचपेडी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि** :- मोर एक ठन निवेदन है, कि जो जमीन अधिग्रहित किये गये हैं, वो जमीन आनके और मुआवजा कोई दुसरा ले गये हैं, आप सब से मोर निवेदन है, कि उचित आदमी ला उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कंपनी के समर्थन करत हव।

93. **श्रीमती गोमती भार्गव, ग्राम—रलहा** :- मुझे कंपनी के तरफ से, मैं अभी सिलाई—मशीन सिख रही हूँ, वहां से मैं देख रही हूँ कि कितनी भी लडकियां सीख रही है सब को बाहर भेजा जा रहा है, 15000/- रूपये वेतन है और पीएफ भी कट रहा है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। सभी चीजों का सुविधा दिया जा रहा है। एसीसी कंपनी यहां सीमेंट फैक्ट्री खुलता है, सभी युवाओं को कुछ न कुछ सुविधा जरूर दिया जायेगा। इसलिए मैं इस कंपनी को समर्थन देती हूँ।
94. **कुमारी सोमा ठाकरे, ग्राम—रलहा** :-मैं अडाणी कंपनी को समर्थन करती हूँ, मैं अडाणी कंपनी में सिलाई मशीन सिखने आती हूँ।
95. **कुमारी शीतला सोनी, रलहा** :-एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ, मैं सिलाई सेंटर में सिलाई करती हूँ।
96. **श्रीमती भगवती** :- जो गरीब बच्चे है, वो पढ नहीं पा रहे है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, सिर्फ 12 वीं तक स्कूल हैं उसके कारण बच्चे नहीं पढ पा रहे है। बिजली, पानी, स्कूल दिया जाये। इसके लिए मैं कंपनी को बिनती करती हूँ।
97. **श्रीमती सविता भार्गव, सरपंच टांगर** :- मैं एसीसी ट्रस्ट को समर्थन करती हूँ।
98. **श्री धर्मपाल भार्गव, ग्राम—गोढाडीह** :- मैं कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि कंपनी माइंस खोलेगा कि कंपनी बिठायेगा। हम लोग जमीन देंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे जमीन में आयेगा। हम लोग पूरा बाराबर देंगे। ये चीज के लिए बोलना चाहता हूँ। ये चीज में है तो मैं सहमत हूँ, दूसरे राज्य से वर्कर नहीं आना चाहिए। दूसरे राज्य से वर्कर आयेगा तो पूरा आंदोलन के साथ विरोध करेंगे।
99. **श्री ईश्वर कुमार कुर्रे, ग्राम—बोहारडीह** :-मोर सिर्फ एक बिनती है बोहारडीह से टांगर वाला रोड मा खम्भा और बिजली लगवा दे। बाकी समर्थन है।
100. **श्री पीलाराम साहू** :- एसीसी कंपनी के समर्थन करत हव। पूर्व मा जो जमीन बिक्री हो गये हे। वो हिसाब से वो जमीन के मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी सुविधा है बच्चा मन के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पालथे वो प्रकार से कंपनी गांव की रक्षा करना चाहिए।
101. **कुमारी अश्वनी पटेल, ग्राम—रलहा** :- एसीसी कंपनी यहां खुलत हे बहुत—बहुत स्वागत है। ओखर से हमन ला बहुत कुछ लाभ मिलत हे, अडाणी प्रोडक्ट खुले हे ओखर से हमला बहुत कुछ लाभ हे। हमन अच्छा से पढाई ला कम्पलीट नई कर

सकत हन। अच्छा से कम्पलीट करना चाहथन। बच्चा अभी पीछे हे, ओला विकास नहीं मिल सकत हे। बच्चा मन ला अच्छा से विकास मिल सकय।

102. **श्री महंत पटेल दास, ग्राम—भुरकुण्डा** :- मैं कंपनी से निवेदन करता हूँ अधिकारी लोगों से जो कंपनी जमीन ग्रहित किये है वो ग्रहित जमीन है उनका निश्चित राशि है, मिलना चाहिए। जहां खदान है वहां कोई भी दलाल खरीद लिये है। उसी कीमत को दिया गया है, वहां बहुत काम हो चुका था, इस बात पर ध्यान देंगे। जो बेरोजगार है, कंपनी का सहमति जो है। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। कंपनी से और कीमत मिलना चाहिए। उचित न्याय मिलना चाहिए।
103. **श्री तुषार विनय लहरे, ग्राम—गोढाडीह** : मैं कंपनी का विशेष समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं पढा—लिखा बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार की सख्त आवश्यकता है, मैं सभी को बताना चाहूंगा, कोई भी घर को बनाने से पहले नींव को बनाने से पहले छत की ढलाई नहीं करते है। उसी प्रकार से कंपनी को नींव रखने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कंपनी आपकी सारी मांगों को पूरा करेगी। और हम बिल्कुल कंपनी का सहयोग, समर्थन एवं स्वागत करते है।
104. **कुमारी खुशी लहरे, ग्राम—पचपेडी** :- मैं चाहती हूँ कंपनी खुल रही है, निशुल्क हास्पिटल, सड़क, स्कूल को कंपनी बनायेगी, साथ ही हमें योग्यता अनुसार ट्रेनिंग देने का वादा करती है, तो मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
105. **कुमारी श्वेता साहू, ग्राम—लोहर्सी** :-मैं चाहथव की, हमन लडकी जो 12 वीं पढ लिये है। रोजगारी मिलना चाहिए। लडकी मनके अवसर होना चाहिए। बाहर जाय के, रही बात यहां कॉलेज के कॉलेज जरूर होना चाहिए, रोड के हॉल तो देखते हव। मैं चाहथव जो लडकी बेरोजगार हे, सिलाई मशीन से कुछ नही होता, सबके फैमली वाले बाहर सिलाई मशीन सिखे जाय के एलाउ नही देथे। मैं चाहथव कि लडकी मन ला कुछ न कुछ लडकी मन ला काम मिले। लडकी मन के उपर भी डिपेन्ड होथे तो लडकी मन ला भी रोजगार देवव।
106. **श्रीमती सत्यम चौधरी, ग्राम—चिल्हाटी** :- मैं ब्यूटी पार्लर सीखने जाती हूँ, मैं एसीसी कंपनी को अपनी तरफ से समर्थन देना चाहती है। यहां पर एसीसी कंपनी खुलने वाला है। लेकिन जितने भी मजदूर आदमी है उन सबको सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा, एसीसी से सबका सुधार होगा। मैं इतना गुजारिश करती हूँ ग्राम लोहर्सी वाले से। एसीसी कंपनी सीमेंट फैक्ट्री है उनको आने दे, सब इन समर्थन दे।

107. **श्री चंद्रप्रकाश सूर्यवंशी, अनुसूचित जातीय का मोर्चा अध्यक्ष** :-निश्चित रूप से जब प्लांट खुलता है। तो कुछ लोग पक्ष में बोलते है कुछ लोग विपक्ष में बोलते है। लेकिन हमको जो आसपास के गांव वाले या ग्रामीण भाई है, वो सब इनको समझना पडेगा, कि इनसे कितना फायदा कितना नुकसान है, आज जिस तरह से मस्तूरी में पलायन हो रहा है, इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो ये जितने भी हमारे उद्योग में जो फैक्ट्रीया लग रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमारे युवा को, हमारे जो बहने है, हम सबको इसका लाभ मिलेगा, साथ ही एसीसी के जितने भी कर्मचारी है, आपके जो पर्यावरण का विषय है आने वाले समय में आस-पास के गांव में पर्यावरण का खतरा न रहे, इसे पर्याप्त संख्या में पेड़ लगे। धूल-डस्ट से आप इनसे कैसे निपटना है, इन सबकी तैयारी महत्वपूर्ण है। जो वादे आप आज कर रहे है। इसी विश्वास के साथ मैं एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ। जो भाई पलायन करते है, उनके दुख का मुझे अभास है।
108. **श्री रामप्रसाद भार्गव, ग्राम-टांगर** :-मैं देख रहा हूँ 2 साल से चारो व पांचो गांव में विकास कार्य किये है। इसीलिए मैं आया हूँ विकास कार्य को देखकर मैं चाहता हूँ कि किसानो के जमीन को एक साथ लिया जाये और उचित दाम दिया जाये। मैं समर्थन करता हूँ एसीसी कंपनी का।
109. **श्री अमित कुमार दिनकर, ग्राम-भुरकुण्डा** :- हमारे गांव के बीच में एसीसी कंपनी खुलने वाला है, जिनका गोढाडीह, टांगर के बीच में जितने हमारे गांव के और जितने गांव में आ रहा है कंपनी वा सब अपना डिमांड रखे है, उसी डिमांड में मैं भी सहमत हूँ और कंपनी को सहमति देता हूँ।
110. **कुमारी सौम्या रत्नाकर, ग्राम-टांगर** :- एसीसी कंपनी को सहमत देती हूँ।
111. **कुमारी अंजू मरकण्डे, ग्राम-बिरौनी** :- एसीसी कंपनी को सहमत देती हूँ।
112. **कुमारी प्रिया कुर्रे, ग्राम-बिरौनी** :- एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ।
113. **कुमारी संतोषी यादव, ग्राम-रलहा** :- एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ।
114. **कुमारी जागृति सोनी, ग्राम-रलहा** :-एसीसी कंपनी खुलने को समर्थन करती हूँ।
115. **श्री विवेक टंडन शर्मा, ग्राम-लोहर्सी** :-एसीसी को मेरा समर्थन एवं स्वागत करता हूँ, एसीसी के द्वारा बहुत सारे प्रभावित ग्राम में विकास कार्य कराया गया है। जैसे स्ट्रीट लाईट, पोल, साईकल स्टैण्ड, स्टील डेव्लपमेंट ऐसे बहुत सारे 2-3 सालों में काम कराये गये है और आगे भी एसीसी द्वारा गांव के हीत एवं विकास के लिए

काम कराया जायेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एसीसी कंपनी का समर्थन करता हूँ।

116. श्री दुर्गेश तिवारी, ग्राम—लोहर्सीसोन :—एसीसी का स्वागत करता हूँ।
117. कुमारी हर्षिता कुरे, ग्राम—लोहर्सीसोन :— मैं पहले सिलाई करने जाती थी।
118. कुमारी साक्षी साहू, ग्राम—लोहर्सी :— हम लोगों का पूरा समर्थन है।
119. ग्राम का नागरिक, ग्राम—टांगर :— एसीसी कंपनी को समर्थन देते हैं, हमारे गांव के जमीन को यदि कंपनी खरीदने में कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते हमारे गांव का जमीन को कंपनी लेते हैं तो पूरा एक बैग ले। थोडा—थोडा लेगा तो हमें कोई हासिल नहीं होगा। हम लोग एसीसी के समर्थन में हैं। हमारा जमीन ले एक बैग ले।
120. श्री राम निवास साहू :—एसीसी कंपनी हमारे ग्रामीण को रोजगार मिलेंगे, डेवलपमेंट होगा। लेकिन कंपनी की फैक्ट्री खुलने से ध्यान रखा जाये रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया जाय, गांव का हालत पूरा खराब है रोड की, इतना बडा गांव, इतना बडा जनसंख्या है डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान दे और मैं एसीसी कंपनी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
121. श्री सुनिल तिवारी :— एसीसी कंपनी का स्वागत एवं समर्थन करता हूँ। यहां के जो किसानों का जमीन है, सही मुआवजा किसान को दिया जाये, दलालो को न दिया जाये, जो विकास कार्य का है रोजगार का है, महिला समूह का है, उनका ध्यान रखा जाये।
122. श्री रामूलाल अयोध्या, ग्राम—चिल्हाटी :— किसान ला उचित न्याय मिले, ऐखर साथ, मैं, एसीसी सीमेंट का समर्थन करथव।
123. ग्राम का नागरिक :— डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना भी गांव है सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा समर्थन है।
124. श्री समर्थ कुमार महिलांगे, ग्राम—सुलौनी पंच :— मैं चाहता हूँ कि विकलांग लोगों का भी कंपनी में ध्यान दे, हमारे गांव का हालत बहुत खराब है, उसका भी ध्यान दे। मैं अपना समर्थन ग्राम पंचायत से देता हूँ।
125. श्री सुरेश कुमार :—एसीसी सीमेंट का समर्थन करता हूँ।
126. श्री लक्ष्मी प्रसाद टंडन, ग्राम—मस्तूरी :— एसीसी सीमेंट को समर्थन करता हूँ।

127. श्री नरेन्द्र कुमार नायक, ग्राम—चिल्हाटी, भाजपा मोर्चा अध्यक्ष :- एसीसी सीमेंट कंपनी को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन युवाओं एवं किसानों का उचित ध्यान रखा जाये, इसके साथ मैं एसीसी कंपनी को समर्थन करता हूँ।
128. श्री सोन कुमार भारद्वाज, ग्राम—भिलाई :-एसीसी कंपनी को समर्थन दे रहा है। नौकरी पाने के लिए ये विशेष ध्यान दे।
129. श्री पूरन सिंह ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री :-मैं एसीसी सीमेंट कंपनी को समर्थन करता हूँ, लोगों को रोजगार एवं पर्यावरण प्रदूषण रोके कुछ विशेष उपाय जरूर करे। लोगों को रोजगार दे और ये कॉलेज दे, समर्थन दे रहा हूँ।
130. कुमारी प्रतिभा राय :- मैं कंपनी को समर्थन करती हूँ।
131. कुमारी कुसुम :- इस सीमेंट कंपनी को समर्थन करती हूँ।
132. कुमारी सत्या बर्मन :- एसीसी सीमेंट कंपनी को समर्थन करती हूँ।
133. कुमारी संगी बघेल :- एसीसी कंपनी को समर्थन करती हूँ।
134. कुमारी संध्या रात्रे :- कंपनी को समर्थन करती हूँ।
135. श्री प्रेमचंद जायसी :-मैं ये बताना चाहता हूँ, कि ये मस्तूरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है। जहां के लोग अधिक मात्रा में पलायन कर रहे हैं, 40, से 45000 लोग यहां से पलायन करते जा रहे हैं, हमें ये समझना होगा, कि हमारे पलायन ये कैसे दूर होगा। ये समझना होगा, यदि अडाणी ग्रुप के द्वारा एसीसी ग्रुप के द्वारा हमारे क्षेत्र में आप इण्डस्ट्रीज लेकर आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु स्वागत के साथ जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उस प्रक्रिया के संबंध में मैं एसीसी के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी से मैं आव्हान करना चाहता हूँ, कि मेरे बातो को कार्यवाही में नोट करें, जिस क्षेत्र में इण्डस्ट्रीज स्थापित होता है शासन, प्रशासन के तहत एप्रूव जिसमें कहा जाता है, कि क्षेत्रीय युवाओं को हम शत प्रतिशत रोजगार देंगे। चाहे स्कील रूप में हो या अनस्कील रूप में हो। रोजगार में पारदर्शिता तभी बनेगी, जब आप प्रभावित गांव में शिविर लगाकर पंजीयन हुआ बेरोजगारो का और आप जिस दिन पंजीयन करते हैं, उस दिन पंजीयन को आप सबके सामने खोल दीजिए। हम इसको रोजगार देना जा रहे हैं। क्या आप अपनी इस बात को स्वीकार करते हैं, यदि स्वीकार करते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण आपने नितिगत जमीन आपने लोगों का अधिग्रहण किया। शासकीय ढंग से आप मुआवजा देंगे। ये निश्चित है ये संविधान में प्रावधान है। परंतु प्रशासन इस बात को बताये। शासकीय भूमि को लीज

किया है शासकीय भूमि की परिभाषा क्या है। आप बताये। वो शासकीय भूमि कैसे हुआ जो गांव की निस्तारी जमीन है, वो गांव की निस्तारी जमीन जो पूरे गांव के लोग 15 साल, 20 साल, 40 साल से खेती करते आ रहे है, वो गांव के निस्तारी की भूमि है, आपके नियम के अनुसार उस गांव के जमीन को लीज कर सकते है, जो भी विरोध है, फसल उगाने वाले जमीन का निर्माण कैसे हुआ। फिर भी हम आपका स्वागत करते है। वो व्यक्ति जो फसल पैदा करना चाहता है। उसके लिए भी अडाणी ग्रुप के दिल में जगह होना चाहिए। मैं इधर से राव जी को देख रहा हूँ इधर से पाण्डेय जी को देख रहा हूँ, रवि साहब को भी देख रहा हूँ, आपको वचन देना पडेगा कि उस व्यक्ति के लिए भी आपके दिल में जगह है, कंपनी के अंदर में उसे आप काम देने जा रहे है। आपको घोषणा करना पडेगा, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा इतनी बड़ी प्लांट लग रही है, हम देखते हुए आये है इस स्वास्थ्य जीवन में बहुत बडा प्रभाव पडता है इण्डस्ट्रीज स्थापित होने के 5 साल के बाद इस क्षेत्र के जन जीवन को प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पडता है, मैं अडाणी ग्रुप से एसीसी ग्रुप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। क्या आप घोषणा करेंगे। रायपुर में एम्स जैसे उसके जैसे अस्पताल यहां पर अस्पताल खोलेंगे उसकी घोषणा करेंगे आप। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ, तो दिल खोलके आपका स्वागत करेंगे कि आप घोषणा करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सीमेंट का प्लांट लगायेंगे, जब धूल उडता है, जो खेत अधिग्रहित नहीं हुआ होता है, जिसमें फसल की पैदावारी करते है, उसमें भी सीमेंट में परत जम जाता है। उसमें फसल की पैदावारी कम होती है, इसमें मेरा आग्रह यह है कि समय रहते पॉलुशन के कंट्रोल के लिए आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण की शुरुवात करेंगे। क्या इसकी घोषणा आप इस मंच से आप करते है, हम स्वागत करेंगे। जब आप वृक्षारोपण करते एक व्यक्ति का जीवन पैदा होने के बाद मजदूरी के दलदल में फसता है, बड़े होने के बाद रोजगार की चिंता होती है। दर-दर भटकता है, ये प्रमुख-प्रमुख चीजे है यदि प्रशासन की तरफ से 4-5 बात जो रखी गई। उसे आप हराकर बताये । हम ताली बजाकर आपके मांग को समर्थन करने व आपको अपनाने को तैयार है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने को हम तैयार है। मैं तो एक बात और बोल देता हूँ। हमारा दिल बहुत बडा है और बहुत विशाल है। हम समर्थन करना चाहते है आप एनओसी भी प्राप्त कर ले। हमारी इन बातों को और हमारी इन मांगों को सहानुभूति पूर्वक यदि विचार करके आप करने का प्रयास करेंगे। आप प्रशासनिक कार्यवाही में आप हमें किसी प्रकार से उलझाने का प्रयास करेंगे। आप प्रशासनिक दादागिरी करेंगे। तो पाशा पलटने में देर नहीं लगेगी। फिर आपको काम करने में कठिनाई होगी। मैं तो ये कहता है जो किसी

व्यक्ति को रोजगार देता है वो अन्न दाता होता है। तो आप अन्नदाता बनिये। हमेशा आपका स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र से हम हमेशा अभिनंदन करेंगे। इसमें किसी को किसी भी बात में उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं यही आग्रह निवेदन के साथ मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किये गये हैं। लोगों को पता चले आप इन बातों को सामने रख दे। खुले मन से बाहे फैलाये आपका स्वागत करेंगे, आपको अभिनंदन करेंगे।

- 136. श्रीमती मानकुंवर कोसले, ग्राम—लोहर्सीसोन :-** मुआवजा मिला जाये, एसीसी कंपनी का समर्थन करती हूँ।
- 137. कुमारी ममता तिवारी, ग्राम—लोहर्सी :-**मैं बचपन से देख रही हूँ आसपास गांव को कि यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। एसीसी अडाणी आने से पहले कुछ भी नहीं था। कोई भी इस गांव को जानता भी नहीं था। जब से एसीसी अडाणी आया है तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। एसीसी कंपनी खुलने से पहले इतने सारे काम हो रहे हैं। तो प्लांट आने के बाद कितना डेवलप करेंगे हमारे आसपास के गांव को ये हम सोच भी नहीं सकते। शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे। यहां पर प्रदूषण न हो। इसलिए मैं एसीसी अडाणी का समर्थन करती हूँ।
- 138. श्री दिनेश शर्मा, उप सरपंच ग्राम पंचायत जोंधरा :-** युवा बेरोजगारो, क्षेत्रीय युवा बेरोजगारो को नौकरी मिले। एसीसी अडाणी को समर्थन करता हूँ।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर उद्योग प्रबंधन श्री रामबाबू गट्टू मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एसीसी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। एसीसी जैसा आप अभी तक सुने हैं, यहां पर हम 3.3 मिलियन टन क्लींकर का और 1 लाख मी. टन सीमेंट का और साथ—साथ में उसका बिजली का सपोर्ट में का 30 मेगावॉट का कैप्टिव पॉवर प्लांट एवं 17 मेगावॉट डब्ल्यूएचआरएस उसके साथ रिक्वायर डीजी सेट का लगाया जायेगा और मैं कंपनी का प्रतिनिधि होने, मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आज यहां जो भी भूमि अधिग्रहण के बारे में और प्रदूषण के बारे में, पानी के बारे में, एज्युकेशन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोड़ के बारे में सभी के बारे में जो चर्चा हुई है, उसका उचित कार्य किया जायेगा और एक बहुत अच्छा लगा कि किसी मेरे भाई ने बोला 1 पेड़ काटते हो तो, 4 पेड़ लगाना चाहिए। हम आश्वासन देते हैं कि 4 पेड़ नहीं 14 पेड़

लगायेंगे, रही बात एज्युकेशन की बात आई है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एज्युकेशन लिस्ट उसको अपडेट करने का जहां-जहां एज्युकेशन स्टूडेंट आने-जाने के असुविधा का, साथ-साथ में मेडिकल फेसिलिटी का, खर्चा देने का, ये सभी का पूरा प्रयास किया जायेगा, साथ-साथ में एक इम्पोटेन्ट बात आई है, बिजली का, पानी का समस्या, की जो बाते सरकार के समर्थन में हम आश्वासन देते है कि बिजली का जो कोई समर्थन के साथ में कोई पूरा-पूरा प्रयास हमारा कमेंटमेंट है हम देंगे और रही बात नई जनरेशन का एम्पलाईमेंट का और लोग एम्पलाईमेंट के बारे में हम आश्वासन देते है कि जो हम जो भी जितना डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है स्कील है, अनस्कील है। फस्ट प्रीफेंस, फस्ट लोकल ग्रहमेंट को देंगे। साहब ने जैसा कहा है कि बीच में चर्चा में आया है कि तालाब का गहरीकरण किया है और यहां जरूरत पडेगा तो उसको भी पूरा करेंगे। इसमें हमको वॉटर टेबल रहेगा पूरा पूरा इम्प्रू रहेगा उसका पूरा प्रयास रहेगा। ये कंपनी का सिनियर अधिकारी होके मैं सभी को आश्वासन देता हूँ।

तत् पश्चात् लगभग 1:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 39 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 138 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 120 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)